



**Returnto
WorkSA**

The Return to Work scheme and work injury support काम पर लौटने संबंधी योजना व काम पर चोट लगने पर सहायता

यदि काम पर किसी को चोट लगती है तो ReturnToWorkSA (काम पर लौटना SA) बीमा प्रदान करता है जो सारुथ ऑस्ट्रेलियाई व्यापारों व उनके कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

‘काम पर लौटना योजना’ का मानना है कि जिन लोगों को काम पर गम्भीर चोट नहीं लगती है उनकी तुलना में जिन लोगों को गम्भीर चोट लगती है उनको विशेष प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है।

चोट-ग्रस्त कर्मचारियों को मिलने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

- दो वर्ष तक के लिए वेतन न पाने के मुआवज़े के रूप में आय सहायता – आमतौर से चोट लगने की तिथि से आरम्भ होता है
- चोट लगने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए मुनासिब व आवश्यक मेडिकल इलाज व देखभाल
- चोट लगने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए काम पर लौटने संबंधी सेवाएँ पाना, जैसे कि नौकरी की व्यवस्था करना व दुबारा प्रशिक्षण पाना।

गम्भीर रूप से चोट-ग्रस्त कर्मचारियों को मिलने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल हो सकता है:

- रिटायर होने तक आय में सहायता
- पूरे जीवन के लिए मुनासिब व आवश्यक मेडिकल इलाज व देखभाल
- यदि निवेदन किया जाए तो काम पर लौटने संबंधी सेवाएँ पाना।

काम पर चोट लगने पर यदि आप दो सप्ताह से अधिक के लिए काम पर नहीं जा सकते हैं तो आपका क्लेम एजेंट एक केस मैनेजर को आपके कार्यस्थल पर भेजने का प्रयत्न करेगा जिससे कि वह आपसे व आपके नियोक्ता से मिल सके और आपको आवश्यक इलाज, देखभाल व सहायता सेवाओं से मिलवाया जा सके और आपके पुनर्वास व काम पर जल्द से जल्द लौटने में मदद दी जा सके। चोट की सूचना के बाद कार्यस्थल पर सबको आमने-सामने मिलने का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाएगा।

What to do if you are injured जब आपको चोट लगती है तो क्या करना चाहिए

यदि आपको काम पर चोट लगती है तो आपके लिए कई आवश्यक कदम लेने अनिवार्य है।

कदम 1: उचित इलाज करवाना।

कदम 2: अपने नियोक्ता को सूचित करना।

यदि हो सके तो चोट लगने के 24 घंटे के अंदर आपको अपने नियोक्ता को लिखित या मौखिक रूप से सूचित करना अनिवार्य है। यदि आप खुद नहीं बता सकते हैं तो आपका प्रतिनिधि, जैसे कि परिवार का सदस्य या मित्र आपके नियोक्ता को सूचित कर सकता है।

कदम 3: डॉक्टर को दिखाएँ

डॉक्टर आपकी चोट की जाँच करेगा, यह जानने के लिए कि आपको किस प्रकार की चोट लगी है, आपको किस प्रकार के इलाज की ज़रूरत है, जिसमें यह भी शामिल है कि इलाज कितनी बार व कितने समय के लिए होगा। वे आपको कार्य क्षमता सर्टिफिकेट (Work Capacity Certificate) देंगे। यदि आपको काम से छुट्टी की आवश्यकता होती है और आप दावा करने का निर्णय लेते हैं तो आपको अपने नियोक्ता के क्लेम के एजेंट को यह कार्य क्षमता सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म के साथ देना होगा।

कदम 4: दावा/क्लेम करना

यदि आपको चोट के कारण काम से छुट्टी लेनी पड़ती है व आपके इलाज के लिए व अन्य खर्च होते हैं और आप मुआवज़े का दावा करना चाहते हैं तो आपको क्लेम फॉर्म पूरा करना होगा।

यदि हो सके तो आपको क्लेम फॉर्म अपने नियोक्ता के साथ मिल कर पूरा करना चाहिए। इससे आपको अवसर मिलता है कि यदि आपकी चोट होते हुए भी, काम पर रहने या जल्द से जल्द काम पर लौटने के बारे में जो भी सहायता आपका नियोक्ता दे सकता है उसके बारे में बात-चीत कर सकें। इससे यह भी होता है कि सही व विस्तृत जानकारी शामिल की जाती है और इससे क्लेम के निर्णय में सहायता मिलती है। जब कर्मचारी व नियोक्ता मिल कर क्लेम फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो यह फॉर्म अलग से भरा जा सकता है।

क्लेम फॉर्म में आप बता सकते हैं कि आपका क्लेम मेडिकल खर्चों आय न होने या दोनों के लिए है।

आपके नियोक्ता के लिए ज़रूरी है कि वह आपके क्लेम फॉर्म की एक कॉपी व आपके डॉक्टर द्वारा दिए गए कार्य क्षमता सर्टिफिकेट की एक कॉपी आपसे मिलने के बाद पाँच दिन के अंदर क्लेम एजेंट को दे।

आपके क्लेम एजेंट को जितनी जल्दी आपकी चोट के बारे में पता लगेगा उतनी जल्दी वे आपके इलाज, देखभाल व सहायता सेवाओं से जोड़ने का प्रबंध किया जाएगा, जिससे आपके पुनर्वास व काम पर जल्द से जल्द वापस आने में मदद दी जा सके। क्लेम करने के लिए आप या आपका नियोक्ता, नियोक्ताओं के क्लेम एजेंट से संपर्क कर सकते हैं:

Gallagher Bassett Services Pty Ltd
GPO Box 1772, Adelaide SA 5001
newclaims@gb.rtwsa.com
Fax (08) 8177 8451
www.gallagherbassett.com.au
Phone (08) 8177 8450 or free call 1800 664 079

Employers Mutual SA
GPO Box 2575, Adelaide SA 5001
newclaims@employersmutualsa.com.au
Fax (08) 8127 1200
www.employersmutual.com.au
Phone (08) 8127 1100 or 1300 365 105

साऊथ ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश प्राइवेट व सरकारी क्षेत्र के बड़े संगठनों का अपने आप किया गया बीमा होता है और वे अपने कार्यकर्ताओं के मुआवज़ा संबंधी क्लेम का प्रबंधन खुद करते हैं। यदि आप ऐसे उद्योग में काम करते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के मुआवज़ा संबंधी क्लेम का प्रबंधन खुद करते हैं और आपको काम पर चोट लग जाती है तो आपको अपने नियोक्ता से मुआवज़े के लिए क्लेम करने के बारे में बात करनी चाहिए।

Your obligations आपकी ज़िम्मेदारियाँ

पुनर्वास व काम पर लौटने संबंधी उत्तम परिणाम पाने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप:

- अपने नियोक्ता को जल्द से जल्द कार्य स्थल पर चोट लगने की सूचना देना (यदि आप कर सके तो 24 घंटे के अंदर)
- जल्द से जल्द क्लेम करना
- आपके पुनर्वास व काम पर लौटने में सहायता देने संबंधी बनाई गई गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना
- काम पर लौटने की योजना का विकास करने में हिस्सा लेना व सहयोग देना
- आपकी काम पर लौटने की योजना में दी गई ज़िम्मेदारियों का पालन करना
- वर्तमान मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो आपके काम करने की क्षमता व अन्य संबंधित जानकारी के बारे में बताते हैं वह प्रदान करना
- जब आप काम करने में समर्थ हों तब उपयुक्त नौकरी पर वापस जाना।

Your employer's obligations आपके नियोक्ता की ज़िम्मेदारियाँ

हम अपेक्षा करते हैं कि आपका नियोक्ता आपके पुनर्वास व काम पर लौटने में निम्नलिखित द्वारा सहायता करेगा:

- अपने क्लेम एजेंट को आपको काम पर चोट लगने या क्लेम करने की सूचना देना जो आपके नियोक्ता को आपको चोट लगने या काम पर चोट लगने के क्लेम की सूचना मिलने के 5 कार्यकारी दिनों के अंदर करना चाहिए
- आपके पुनर्वास व काम पर लौटने में हिस्सा लेने में मदद देना
- काम पर लौटने की योजना का विकास करने में हिस्सा लेना व सहयोग देना
- आपकी काम पर लौटने की योजना में दी गई ज़िम्मेदारियों का पालन करना
- आप जैसे-जैसे चोट से बेहतर होते हैं आपको उपयुक्त काम देना जो आप सुरक्षापूर्वक कर सकें
- जब आप काम करने के लिए स्वस्थ हो जाते हैं पर आप चोट लगने से पहले का काम नहीं कर सकते हैं तो आपको उपयुक्त काम देना।

Your support team आपका सहायता दल

नीचे दिए गए लोग आपको चोट लगने के बाद स्वास्थ्य-लाभ करने व काम व समुदाय में लौटने में मदद कर सकते हैं:

केस मैनेजर

आपका केस मैनेजर आपका मुख्य संपर्क है और वह आपको चोट लगने के बाद जल्द से जल्द स्वास्थ्य-लाभ करने व काम पर सुरक्षापूर्वक लौटने में मदद व सेवाओं का समन्वय करेगा। वे आपको व आपके नियोक्ता को व्यक्तिगत सहायता शीघ्र प्रदान करेंगे और आपको चोट लगने के बाद स्वास्थ्य-लाभ करने व काम पर जल्द से जल्द लौटने में मदद व सेवाओं का समन्वय करेगा।

यदि चार सप्ताह से अधिक के लिए आपके काम पर न आने की संभावना है तो वे आपको व आपके नियोक्ता को आपके काम पर लौटने की योजना का विकास करने व उसे लागू करने में भी मदद करेंगे।

डॉक्टर

आपका डॉक्टर आपकी चोट की जाँच करेगा और आपसे मिल कर यह निर्णय लेगा कि आपको किस प्रकार के इलाज की आवश्यकता है। वे इलाज के लक्ष्यों को बनाने में आपकी मदद करेंगे और आपके स्वास्थ्य-लाभ करने व काम पर लौटने की योजना का विकास करने में योगदान देंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अच्छे से अच्छे परिणाम हों, यह आवश्यक है कि आप अपने इलाज की योजना बनाने में सक्रिय रूप से भाग लें। डॉक्टर को यह बता कर कि आपका इलाज कैसा चल रहा है, आप अपने डॉक्टर को आपकी विशेष स्थिति में उचित इलाज की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं।

संबंधित स्वास्थ्य प्रदानकर्ता

आपका डॉक्टर आपको संबंधित स्वास्थ्य प्रदानकर्ता के पास भेज सकता है, जो आपको इलाज, सलाह व सहायता देंगे जिससे आप अपनी चोट का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन कर सकें और काम व जीवन में लौट सकें।

काम पर लौटने संबंधी सेवा प्रदानकर्ता

हो सकता है आपका केस मैनेजर आपके लिए काम में लौटने संबंधी सेवा प्रदानकर्ता नियुक्त करे, जो आपको नौकरी पाने, प्रशिक्षण में मदद करे या कोई अन्य विशेषज्ञ नियुक्त करे, जैसे कि व्यवसायिक थैरापिस्ट या फ़िज़ियोथैरापिस्ट जो आपको काम पर लौटने के लिए तैयार करेंगे।

काम पर लौटने का समन्वयकर्ता

यदि आपका नियोक्ता 30 या इससे अधिक कार्यकर्ता नौकरी पर रखता है तो उनके लिए एक प्रशिक्षित काम पर लौटने संबंधी समन्वयकर्ता रखना अनिवार्य है, जो आपके पुर्नवास व काम पर लौटने में मदद करेगा। आपका समन्वयकर्ता निम्नलिखित कर सकता है:

- आपको क्लेम फ़ॉर्म भरने व किसी अन्य प्रकार के कागज़ातों को पूरा करने में मदद करना
- आपके व आपके केस मैनेजर से मिलना
- आपको काम पर रहने व काम पर वापस आने में मदद करना
- आपसे, क्लेम एजेंट व चिकित्सा प्रदानकर्ताओं से संपर्क रखना
- ऐसे क़दम लेना जिससे आपको दुबारा या और अधिक चोट न लगे
- काम पर लौटने की योजना की तैयारी करने में मदद देना
- आपकी काम करने की क्षमता व काम पर लौटने की प्रगति की निगरानी करना।

यदि आपके कार्यस्थल में समन्वयकर्ता नहीं है तो अपने केस मैनेजर से बात करें कि वह मदद के लिए क्या कर सकते हैं।

अधिक जानकारी

ReturnToWorkSA से अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में संपर्क करने के लिए कृपया दुभाषिया व अनुवाद केन्द्र (Interpreting and Translating Centre) को 1800 280 203 पर फ़ोन करें और उनसे कहें कि 13 18 55 पर हमसे मिला दें। यह दुभाषिया सेवा आपको निःशुल्क उपलब्ध है।